

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 8 जनवरी 2019—पौष 18, शक 1940

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2019 (पौष 18, 1940)

क्र. 312-म.प्र.वि.स.-15-विधान-19.—मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 (क्रमांक 8 सन् 1980) की धारा 13 के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचना एतद्वारा प्रकाशित की जाती है:—

“मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन अध्यक्ष के स्थायी आदेश की कण्डिका 92(3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री गोपाल भार्गव, सदस्य को दिनांक 8 जनवरी, 2019 को विधिवत् नेता प्रतिपक्ष घोषित किया गया है.”

ए. पी. सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.